राजकीय महाविद्यालय हरिपुर गुलेर, तहसील देहरा, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश के छात्र निधि लेखों का अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन

अवधि 1.4.07 से 31.3.12

भाग–एक

1 **प्रस्तावनाः–**

राजकीय महाविद्यालय हरिपुर गुलेर, प्रधान सचिव (शिक्षा) हिमाचल प्रदेश सरकार के पत्र संख्याः ई0डी0एन0–ए–ख (1)–18/2007 दिनांक 20 अप्रैल, 2007 के अन्तर्गत अस्तित्व में आया। राजकीय महाविद्यालय हरिपुर गुलेर के छात्र निधियों का यह प्रथम अंकेक्षण है।

भाग–दो

2 **(क) वर्तमान अंकेक्षणः–**

राजकीय महाविद्यालय, हरिपुर गुलेर के छात्र निधि लेखों का अंकेक्षण श्री राज कुमार, अनुभाग अधिकारी व श्री सुशील कुमार, आर्टिकल असिस्टैंट द्वारा दिनांक 18.3.13 से 30.3.13 तक महाविद्यालय में किया गया, जिसके परिणाम अनुवर्ती अनुच्छेदों में दिए गए है। विस्तृत जांच हेतु निम्नलिखित मासों का चयन किया गया।

आयः– 8/07, 6/08, 6/09, 11/10 व 6/11

व्ययः– 12/07, 12/08, 12/09, 8/10 व 3/12

अंकेक्षण. एवं निरीक्षण प्रतिवेदन महाविद्यालय के प्रधानाचार्य द्वारा प्रदान की गई सूचनाओं एवं अंकेक्षण में प्रस्तुत अभिलेख के आधार पर तैयार किया गया है। विद्यालय द्वारा प्रदान की गई किसी भी गलत सूचना एवं सूचना प्रदान न करने के लिए स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग किसी भी प्रकार से उत्तरदायी नहीं होगा। स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग का उत्तरदायित्व केवल विस्तृत जॉच हेतु चयनित उपरोक्त उल्लेखित मासों तक ही सीमित है।

(ख) वर्तमान अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन अवधि के दौरान निम्नलिखित प्रधानाचार्य आहरण एवं वितरण अधिकारी के रूप में महाविद्यालय में कार्यरत्त रहे।

क्र0सं0	**आहरण एवं वितरण अधिकारी का नाम**	**अवधि**
1	श्री ललित मोहन	11.8.08 से 30.9.10
2	श्री कर्म सिंह पठानिया	1.10.10 से 29.5.11
3	श्री देश राज शर्मा	30.5.11 से 31.3.12

(ग) <u>अंकेक्षण शुल्कः–</u>

राजकीय महाविद्यालय, हरिपुर गुलेर के वर्तमान छात्र निधि लेखों का अंकेक्षण शुल्क वास्तविक प्राप्तियों के आधार पर ₹32000/–आंका गया जिसे प्रधानाचार्य द्वारा पी0एन0बी0 हरिपुर के बैंक ड्राफ्ट संख्या 827115 दिनांक 25.3.2013 के माध्यम से निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, शिमला–9 के नाम पंजीकृत डाक द्वारा भेज दिया गया। अंकेक्षण शुल्क का विवरण निम्नलिखित प्रकार से हैः–

क्र0सं0	**वित्तीय वर्ष**	**आय (₹)**	**अंकेक्षण शुल्क (₹)**
1	2007–08	182824	400
2	2008–09	208878	7000
3	2009–10	1100649.48	7000
4	2010–11	478083	7000
5	2011–12	806844	7000
		योग	**32000**

3 वित्तीय स्थितिः–

(क) राजकीय महाविद्यालय, हरिपुर गुलेर के अवधि 1.4.07 से 31.3.2012 तक विभिन्न निधियों व दिनांक 31.3.2012 को विभिन्न निधियों की रोकड़ वहियों के अन्तिम शेषों का विवरण बैंक खाता सहित **परिशिष्ट "क"** पर उल्लेखित एवं संलग्न है।

(ख) निधि लेखों की जांच करने पर पाया गया कि छात्र निधि से प्राप्तियों को ध्यान में रखते हुए बहुत ही कम राशि का उपयोग निधि के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु किया गया या किया ही नहीं गया। ऐसा प्रतीत होता है कि महाविद्यालय द्वारा निवेश के उद्देश्य की पूर्ति हेतु ही की जा रही है। छात्र निधियो ंसे उचित धन राशि नियमानुसार व्यय न करने के परिणामस्वरूप छात्र भी इन गतिविधियों से लाभन्वित होने से वंचित रहे छात्र निधियों से नियमानुसार छात्रों के कल्याणार्थ/आवश्यकता को ध्यान में न रखते हुए व्यय न करने बारे स्थिति स्पष्ट की जाए।

(ग) उचित वित्तीय प्रबन्धन न करने के कारण अतिरिक्त ब्याज की आय से वंचित होनाः–

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि संस्था द्वारा विभिन्न छात्र निधियों में पड़ी राशियों को बचत बैंक खातों में ही रखा गया। यह राशियॉ महाविद्यालय की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए अतिरिक्त राशि के रूप में पाई गई। यदि वास्तविक व्यय को ध्यान में रखते हुए इन छात्र निधियों की अतिरिक्त राशियों को सावधि जमा योजना में निवेश किया जाता तो महाविद्यालय छात्र निधि को ब्याज के रूप में अतिरिक्त आय अर्जित होती जिसका उपयोग छात्रों की भलाई हेतु किया जा सकता था। संस्था द्वारा छात्र निधियों में पाई गई अतिरिक्त राशियों का उचित प्रकार से वित्तीय प्रबन्धन न करने बारे स्थिति स्पष्ट की जाए व भविष्य में अतिरिक्त राशियों का सही प्रकार से उचित वित्तीय प्रबन्धन किया जाना भी सुनिश्चित किया जाए ताकि छात्र निधि को अतिरिक्त ब्याज की प्राप्ति से वंचित न होना पड़े।

4 ₹152905.00 की राशि को सरकारी कोष में देरी से जमा करवाने बारेः–

आय की जांच करने पर पाया गया कि महाविद्यालयों में विभिन्न संकायों के विद्यार्थियों से प्रवेश शुल्क, शैक्षणिक शुल्क एवं पुनः प्रवेश शुल्क के रूप में वसूली गई राशि को वसूली के आगामी दिन सरकारी कोष में जमा न करवा कर कई–दिनों तक हस्तगत रखकर उसका अस्थाई रूप से दुरूपयोग किया गया। नियमानुसार सरकारी राशि को वसूली के आगामी कार्य दिवस में सरकारी कोष में जमा करवाना अनिवार्य है। राशियों सरकारी कोष में अत्यन्त विलम्ब से जमा करवाने बारे स्थिति स्पष्ट की जाए व सरकारी राशि के अस्थाई

दुरूपयोग करने हेतु उत्तरदायी अधिकारी/कर्मचारी के विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जाए। कृत कार्यवाही से आगामी अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए। सरकारी राशि को देरी से जमा करवाने के कुछ उदाहरण निम्नलिखित प्रकार से है। मामला आवश्यक उचित कार्यवाही किये जाने हेतु उच्चाधिकारियों के ध्यानार्थ भी विशेष रूप से लाया जाता है।

क्र0सं0	**वसूली की तिथि**	**वसूली गई राशि (₹)**	**सरकारी कोष में जमा करवाने की तिथि**	**जितने दिन देरी से जमा करवाया**
1	19.6.08	750	5.9.08	77 दिन
2	20.6.08	2075	5.9.08	76 दिन
3	23.6.08	720	5.9.08	73 दिन
4	24.6.08	630	5.9.08	72 दिन
5	25.6.08	4680	5.9.08	71 दिन
6	27.6.08	1350	5.9.08	69 दिन
7	28.6.08	1500	5.9.08	68 दिन
8	30.6.08	6990	5.9.08	66 दिन
9	1.7.08	810	5.9.08	65 दिन
10	10.7.08	2460	5.9.08	56 दिन
11	18.7.08	1905	5.9.08	48 दिन
12	24.7.08	3195	5.9.08	42 दिन
13	11.8.08	1365	5.9.08	24 दिन
14	12.9.08	1140	6.10.08	23 दिन
15	15.9.08	690	6.10.08	20 दिन
16	19.9.08	1950	6.10.08	16 दिन
17	2.12.08	600	20.12.08	17 दिन
18	3.12.08	600	20.12.08	16 दिन
19	4.12.08	600	20.12.08	16 दिन
20	9.7.09	630	21.7.09	11 दिन
21	27.7.09	735	10.8.09	13 दिन
22	10.8.09	1215	28.8.09	17 दिन

23	11.8.09	735	28.8.09	16 दिन
24	13.8.09	3900	28.8.09	14 दिन
25	15.9.09	1380	28.9.09	12 दिन
26	19.11.09	2850	2.12.09	12 दिन
27	20.11.09	1500	2.12.09	11 दिन
28	25.6.10	660	7.7.10	11 दिन
29	8.7.10	3200	19.7.10	10 दिन
30	9.7.10	3490	19.7.10	9 दिन
31	10.7.10	2815	19.7.10	8 दिन
32	14.7.10	695	23.7.10	8 दिन
33	27.7.10	1305	23.8.10	26 दिन
34	29.7.10	740	23.8.10	24 दिन
35	5.8.10	550	23.8.10	17 दिन
36	9.8.10	2150	23.8.10	13 दिन
37	10.8.10	1550	23.8.10	12 दिन
38	11.8.10	2400	23.8.10	11 दिन
39	12.8.10	1300	23.8.10	10 दिन
40	14.8.10	1445	23.8.10	8 दिन
41	3.11.10	5100	29.11.10	25 दिन
42	4.11.10	3300	29.11.10	24 दिन
43	8.11.10	2700	29.11.10	20 दिन
44	9.11.10	9300	29.11.10	19 दिन
45	10.11.10	5100	29.11.10	18 दिन
46	11.11.10	6000	29.11.10	17 दिन
47	12.11.10	9000	29.11.10	16 दिन
48	13.11.10	600	29.11.10	15 दिन
49	15.11.10	1240	29.11.10	13 दिन
50	9.6.11	1240	22.6.11	12 दिन
51	10.6.11	4300	22.6.11	11 दिन

52	13.6.11	1970	22.6.11	8 दिन
53	14.6.11	4520	22.6.11	7 दिन
54	18.6.11	6180	27.6.11	8 दिन
55	5.11.11	4800	21.11.11	15 दिन
56	8.11.11	1500	21.11.11	12 दिन
57	9.11.'11	4200	21.11.11	11 दिन
58	11.11.11	6600	21.11.11	9 दिन
59	12.11.11	4500	21.11.11	8 दिन
60	22.11.11	600	9.12.11	16 दिन
61	23.11.11	900	9.12.11	15 दिन
	योग	**152905**		

5 कम्पयूटर प्रयोगिक निधि के रूप में ₹46260/–की कम वसूलीः–

आय की जांच करने पर पाया गया कि वित्तीय वर्ष 2010–11 व 2011–12 में स्नातक विभाग प्रथम वर्ष व द्वितीय वर्ष के गणित व वाणिज्य विषय के विद्यार्थियों से कम्पयूटर प्रयोगिक निधि ₹15.00 प्रति छात्र मासिक की दर से नहीं वसूला गया। निदेशक उच्च शिक्षा विभाग हिमाचल प्रदेश शिमला–2 के पत्र संख्या ई0डी0एन0–ए–के0एच0ए0 (8) 1/2001 दिनांक 1.6.10 के निर्देशानुसार गणित व वाणिज्य पढ़ने वाले सभी विद्यार्थियों से ₹15.00 प्रति माह की दर से कम्पयूटर प्रयोगिक निधि वसूली जानी अनिवार्य है लेकिन महाविद्यालय में वितीय वर्ष 2010–11 व 2011–12 में अन्तिम वर्ष में ही उक्त संकाय के छात्रों से कम्पयूटर प्रयोगिक निधि वसूला गया। चर्चा के दौरान बताया गया कि वाणिज्य व गणित विषयों में प्रैक्टिल अन्तिम वर्ष में ही होता है इसलिए केवल अन्तिम वर्ष के छात्रों से ही कम्पयूटर प्रयोगिक निधि वसूला गया, जोकि तर्कसंगत प्रतीत नहीं होंता है क्योंकि उपरोक्त उल्लेखित पत्र संख्या ई0 डी0एन0–ए–के0एच0ए0 (8) 1/2001 दिनांक 1.6.10 में यह कहीं उल्लेखित नहीं है कि वाणिज्य व गणित विषय के छात्रों से अन्तिम वर्ष में ही कम्पयूटर प्रयोगिक निधि वसूला जाना है। अतः उक्त कम्पयूटर प्रयोगिक निधि प्रथम एवं द्वितीय वर्ष के छात्रों से वसूलने/न वसूलने का स्पष्टीकरण निदेशक, उच्च शिक्षा विभाग से अविलम्ब प्राप्त किया जाए व कम्पयूटर प्रयोगिक निधि प्रथम व द्वितीय वर्ष के छात्रों से वसूले जाने की अवस्था में निम्नलिखित विवरणानुसार वितीय वर्ष 2010–11 व 2011–12 कम वसूली गई राशि की सम्बन्धित उतरदायी

अधिकारी/कर्मचारी से वसूली जानी अपेक्षित है। कृत कार्यवाही से आगामी अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

क्र0सं0	**वित्तीय वर्ष**	**कक्षा**	**छात्रों की सं0**	**कम्पयूटर प्रयोगिक निधि की दर ₹15.00 मासिक या ₹180.00 वार्षिक**	**कम वसूली गई राशि (₹)**
1	2010—11	बी0कॉम प्रथम वर्ष	71	180	12780
		बी0कॉम द्वितीय वर्ष	39	180	7020
		बी0एए0 द्वितीय वर्ष (गणित)	2	180	360
		बी0एए0 तृतीय वर्ष (गणित)	4	180	720
2	2011—12	बी0कॉम प्रथम वर्ष	79	180	14220
		बी0कॉम द्वितीय वर्ष	61	180	10980
		बी0एए0 तृतीय वर्ष (गणित)	1	180	180
					46260

6 ₹2315.00 को निधि लेखा में जमा न करनाः—

(i) आय की जांच करने पर पाया गया कि विभिन्न संकायों के विद्यार्थियों से प्रवेश शुल्क, शैक्षणिक शुल्क व विलम्ब शुल्क के रूप में वसूली गई राशि से कम राशि सरकारी कोष में जमा करवा कर ₹1815.00 का दुरूपयोग किया गया, जिसका विवरण निम्नलिखित प्रकार से हैः—

क्र0सं0	**अवधि**	**प्रवेश शुल्क, शैक्षणिक शुल्क व विलम्ब शुल्क के रूप में वसूली गई राशि (₹)**	**सरकारी कोष में राशि जमा करवाने को तिथि**	**जमा करवाई गई राशि (₹)**	**अन्तर (₹)**
1	21.7.10 से 17.8.10 तक	14455	23.8.10	13820	635
2	18.8.10 से	4045	17.9.10	3455	590

	17.9.10 तक				
3	17.9.10	110	—	—	110
4	2.12.10 से 17.6.11 तक	27475	22.6.11	27385	90
5	22.11.11 से 24.11.11 तक	2190	9.12.11	1800	390
				योग	**1815**

अतः उक्त दुरूपयोग की गई राशि ₹1815/—का उत्तरदायत्वि निर्धारित करने उपरान्त, उक्त राशि की वसूली सम्बन्धित उतरदायी कर्मचारी/अधिकारी से प्राप्त करने उपरान्त यह राशि सरकारी कोष में ब्याज व दण्ड ब्याज सहित जमा करवाई जानी सुनिश्चित की जाए। अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

(ii) आय की जॉच करने पर पाया गया कि अवधि 1.8.11 से 9.8.11 तक प्रवेश शुल्क, पुनः प्रवेश शुल्क, विलम्ब शुल्क व आर0टी0आई0 के रूप में वसूली गई राशि ₹29970/—में से सरकारी कोष में चालान संख्या 21 दिनांक 12.8.11 द्वारा ₹29470/—जमा करवाकर ₹500.00 (29970—29470) की राशि कम जमा करवाई गई। अतः उक्त कम जमा करवाई गई राशि का उत्तरदायत्वि निर्धारित करने उपरान्त यह राशि सम्बन्धित उत्तरदायी कर्मचारी/अधिकारी से करके वसूली करने उपरान्त सरकारी कोष में चालान द्वारा जमा करवाई जानी सुनिश्चित की जाए व अनुपालना से आगामी अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

7 <u>₹42840.00 का 110 दिन तक अस्थाई दुरूपयोग करने बारेः—</u>

आय की जांच करने पर पाया गया कि विभिन्न संकायों के विद्यार्थियों से प्रवेश शुल्क, शैक्षणिक शुल्क व विलम्ब शुल्क के रूप में अवधि 3.7.07 से 8.1.08 तक ₹42840.00 की वसूली की गई व उक्त राशि को पी0एन0बी0 हरिपुर के बचत संख्या 0686000100096444 में जमा करवाया गया। उक्त जमा करवाई गई राशि ₹42840.00 को पी0एन0बी0 हरिपुर के बचत

खाता संख्या 0686000100096444 से दिनांक 17.5.08 को निकाला गया व तदोपरान्त उक्त राशि को 110 दिन बाद दिनांक 5.9.08 को चालान संख्या 43 के अन्तर्गत सरकारी कोष में जमा करवाया गया। उपरोक्त विवरण से स्वतः स्पष्ट है कि सम्बन्धित कर्मचारी द्वारा राशि सरकारी कोष में जमा न करवाकर ₹42840.00 का 110 दिन तक अस्थाई दुरूपयोग किया गया। त्रुटि बारे स्थिति स्पष्ट की जाए व सम्बन्धित कर्मचारी के विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जानी भी सुनिश्चित की जाए तथा कृत अनुपालना से आगामी अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

8 **प्रवेश विवरणिकाओं को बेचने से प्राप्त आय के सन्दर्भ में:—**

जांच के दौरान पाया गया कि मिश्रित निधि से महाविद्यालय के छात्रों के प्रवेश हेतु प्रवेश विवरणिका छपवाने पर निम्नलिखित व्यय किए गए।

क्र0 सं0	**वा0सं0/माह/दिनांक/ बिल सं0**	**फर्म का नाम एवं पता**	**मात्रा**	**दर (₹)**	**मूल्य (₹)**
1	1/5.7.08	अभय प्रिटिंग प्रैस, हरिपुर	400	17	6800
2	0006709/7.7.09	इम्पीरियल प्रिंटिंग प्रैस, धर्मशाला	400	14	5600
3	7674/16.7.10	इम्पीरियल प्रिंटिंग प्रैस, धर्मशाला	400	13	5200
4	शून्य/30.6.11	वीना प्रिटिंग प्रैस देहरा	500	21.90	10950
	क्रम संख्या 1 से 4 तक का कुल योग				**28550**

उपरोक्त व्यय वाउचरों की जांच करने पर पाया गया कि छपवाए गए 1700 प्रवेश विवरणिका की स्टॉक प्रविष्टियॉ व उक्त 1700 प्रवेश विवरणिका को किस दर पर छात्रों को बेचा गया तथा बेचने से कितनी आय कब–2 प्राप्त हुई है से सम्बन्धित अभिलेख अंकेक्षण में सत्यापना हेतु प्रस्तुत नहीं किया गया जिसके अभाव में यह सत्यापित नहीं किया जा सका कि वास्तविक रूप में उक्त प्रवेश विवरणिकाओं को छात्रों को बेचने से कितनी आय प्राप्त हुई है व उसे किस खाते में कब–2 जमा करवाया गया। नियमानुसार प्रवेश विवरणिका बेचने से प्राप्त आय को मिश्रित निधि में जमा करवाया जाना अपेक्षित है। अतः प्रवेश विवरणिका बेचने से प्राप्त आय निर्धारित बिक्री दर सहित वांन्छित अभिलेख सत्यापना हेतु आगामी अंकेक्षण में प्रस्तुत किया जाए, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि अंकेक्षण अवधि के दौरान छपवाई गई प्रवेश

विवरणिकाओ से प्राप्त आय का दुरूपयोग नहीं हुआ है। कृत कार्यवाही से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

9 बरसर पारिश्रमिक के रूप में प्राप्त राशि का 1/3 भाग सरकारी कोष में जमा न करवानाः–

व्यय की जांच करने पर पाया गया कि मिश्रित निधि से विभिन्न वाऊचरों के अन्तर्गत, विभिन्न मासों के दौरान ₹10490.00 का भुगतान ₹250/– प्रति माह की दर से बतौर बरसर कार्य करने के लिए पारिश्रमिक दिया गया। पूरक नियम 11 के प्रावधान के अन्तर्गत देय पारिश्रमिक का 1/3 भाग सरकारी कोष में जमा करवाना अनिवार्य है। अतः पूरक नियम–11 के प्रावधान के अन्तर्गत बरसरों के रूप में कार्य करने वाले प्राध्यापकों को देय पारिश्रमिक का 1/3 भाग सरकारी कोष में जमा करवाया जाना सुनिश्चित किया जाए। अनुपालना से आगामी अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए। बरसर के रूप में दिए गए पारिश्रमिक का विवरण निम्नलिखित प्रकार से है।

क्र0 सं0	वा0सं0/दिनांक	बरसर का नाम	अवधि	पारिश्रमिक की दर ₹250 प्रति माह	राशि (₹)	प्राप्त राशि का 1/3 भाग (₹)
1	139/19.4.10	श्री वर्ग सिंह पठानिया (सहायक प्राध्यापक)	10/08 से 3/10 (18 मास)	250	4500	1500
2	190–ए/2.4.11	श्री वर्ग सिंह पठानिया (सहायक प्राध्यापक)	4/10 से 9/10 (6 मास)	250	1500	500
3	190/2.4.11	श्री संगीत शर्मा (सहायक प्राध्यापक)	10/10 से 3/11 (6 मास)	250	1500	500

4	232/19.10.11	श्री संगीत शर्मा (सहायक प्राध्यापक)	1.4.11 से 9.6.11	250	572	191
5	276/31.3.12	श्री कर्ण सिंह पठानिया (सहायक प्रोफेसर)	10.6.11 से 31.3.12	250	2418	806
					10490	**3497**

10 <u>महाविद्यालय में शारीरिक शिक्षा प्राध्यापक कार्यरत्त न होन के बावजूद ₹57963/–के खेलों का सामान क्रय किए जाने बारेः–</u>

व्यय की जांच करने पर पाया गया कि मिश्रित निधि से विभिन्न मासों के दौरान विभिन्न वाऊचरों के अन्तर्गत खेलों का सामान क्रय किया गया है जिसका विवरण निम्नलिखित प्रकार से हैः–

क्र0सं0	वा0सं0/दिनांक	फर्म का नाम एवं पता	सामान का विवरण	मात्रा	दर (₹)	मूल्य (₹)
1	38/4.12.08	मैसर्ज सिटी सेल्ज, शिमला	फुटबाल	4	268	1072
			स्टडस–शूज (फुटबाल)	14	349	4886
			स्किन पैडस	12	75	900
			ग्लबस फुटबाल	1	118	118
			हॉकी स्टिक्स	16	338	5408
			टर्फ बॉल	12	26	312
			हॉकी गोलकीपर	1 सैट	7400	7400

			किट			
			बैड मिन्टन रैकेट	4	638	2552
			शट्टल कॉक	2 बॉक्स	318	636
			बैडमिंटन रैकेट	1	595	595
			स्टॉकिंग	14	50	700
						24579
					वैट 4%	983
						25562
2	110/5.12.09	सिटी सेल्ज, शिमला	हॉकी स्टिक	14	465.02	6510.28
			हॉकी बाल	6	120	720
			फुटवाल	3	425	1275
			स्टडस–शूज (फुटवॉल)	14	402.32	5632.48
			स्टॉकिंग	14	61.75	864.50
			नी–कैप/एंकलैट	50	22.99	1149.50
			स्किनपैडस	10	223.25	2232.50
			बैडमिटन रैकेट	1	496.37	496.37
			शट्टल कॉक (ए0एफ0एस0)	2 बॉक्स	359.70	719.40
			शट्टल कॉक (स्पार्टन)	4 बॉक्स	115	460
			फुट पम्प	1	427.50	427.50
			स्पोर्टस किट	30 सैट	251.75	7552.50
						28040.03
					वैट 4%	1121
						29161

3	42 / 17.12.08	सिटी सेल्ज, शिमला	प्लेयिंग किट विद प्रिटिंग यूनीफार्म	15 सैट	160	2400
					वैट 4**%**	96
						2496
4	111 / 12 / 09	जगदम्बा बुक डिपो हरिपुर	एक्लैट	9	39	351
			नी–कैप	9	39	351
			सीटी	2	21	42
						744
		क्रम संख्या (1) से (4) तक का कुल योग				**57963**

उपरोक्त उल्लेखित क्रय किए गए खेलों के सामान के व्यय वाऊचरों की जांच करने पर निम्नलिखित अंकेक्षण आपतियां आपेक्षित हैः–

(i) उपरोक्त क्रम संख्या (1) पर उल्लेखित खेलों के सामान को क्रय करने से पूर्व तीन निविदाएं प्राप्त की गई लेकिन उक्त निविदाएं कब प्राप्त हुई उनका डायरी नम्बर, कब खोली गई व आपूर्ति आदेश भेजने हेतु डिस्पैच नम्बर इत्यादि के अभाव में ऐसा प्रतीत होता है कि निविदाएं केवल दिखाने के लिए प्राप्त की गई। इसके अतिरिक्त तीनों निविदाऐं शिमला की ही फर्मों से प्राप्त की गई। यूनिवर्सल ट्रेड, शिमला स्पोर्टस एण्ड गिफट इम्पोरियम, शिमला व सिटी सेल्ज शिमला की है। अतः निविदाएं स्थानीय बाजारों से प्राप्त न करके एक ही शहरी शिमला से प्राप्त करने व आवश्यक औपचारिकताऐं नियमानुसार पूर्ण न किसे जाने बारे स्थिति स्पष्ट की जाए।

(ii) उपरोक्त क्रम संख्या 2 पर उल्लेखित क्रय किए गए खेलों के सामान को हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा अनुमोदित दर संविदा फर्म से क्रय किया गया लेकिन उक्त फर्म की दर संविदा की प्रति अभिलेख में मौजूद नहीं थी। अतः आवश्यक दर संविदा की प्रति सत्यापन हेतु आगामी अंकेक्षण में प्रस्तुत की जाए।

(iii) उपरोक्त उल्लेखित क्रम संख्या 2 पर क्रय किए गए खेलों के सामान की स्टॉक में पहले से अच्छी हालत में मौजूद मात्रा हॉकी स्टिक 16, फुटबॉल 4, स्टडस शूज (फुटबाल)14 जोड़े, स्टॉकिंग 14, स्किन पैडस 12, बैडमिन्टन रैकेट 4 व शटल कॉक 2 बॉक्स होने के बावजूद भी

अतिरिक्त मात्रा में खेलों के सामान पर व्यय की गई राशि ₹17730.53/— अनावश्यक क्रय एवं व्यर्थ व्यय को परिलक्षित करती है। अतः आवश्यकता न होने के बावजूद भी खेलों के सामान क्रय करने पर अनावश्यक क्रय एवं व्यर्थ व्यय करने हेतु स्थिति स्पष्ट की जाए।

(iv) महाविद्यालय में शारीरिक—शिक्षा अध्यापक कार्यरत्त नहीं है लेकिन खेलों के सामान क्रय करने पर ₹57963.00 का व्यय किया गया। अतः शारीरिक शिक्षा अध्यापाक कार्यरत्त न होने के बावजूद भी अत्याधिक मात्रा में खेलों के सामान को क्रय करने का औचित्य स्पष्ट किया जाए।

11 डबल/तीन सीटिड डैस्कों की जगह एकल सीट वाले डैस्कों का क्रय करने के सन्दर्भ में:—

व्यय की जांच करने पर पाया गया कि मिश्रित निधि से वाऊचर संख्या 154, माह 8/10 के दौरान, बिल संख्या 380 दिनांक 11.6.10 को 100 एकल सीटड डैस्क क्रय करने पर फर्नीचर फैक्टरी, बिलासपुर को ₹141750/—का भुगतान किया गया है जिसका विवरण निम्नलिखित प्रकार से है:—

क्र0सं0	सामान का विवरण	मात्रा	दर	मूल्य
1	एकल सीटड डैस्क	100	1350	135000
			वैट 5%	6750
				141750

उपरोक्त उल्लेखित व्यय वाऊचर की जांच करने पर निम्नलिखित अनियमितताएं पाई गई:—

(i) उपरोक्त उल्लेखित डैस्कों को क्रय करने से पूर्व आहरण एवं वितरण अधिकारी मितव्यतता नियमों का पालन नहीं किया गया क्योंकि सम्बन्धित फर्म ने अपनी निविदा में एकल सीटिड डैस्क का मूल्य ₹1350/— डबल सीटिड डैस्क का मूल्य ₹1900/— व तीन सीटिड डैस्क का मूल्य ₹2150/— भरा था। 100 एकल सीटिड डैस्क खरीदने से केवल 100 छात्रों के बेठने की व्यवस्था ही हुई है। यदि इसी राशि ₹135000/— से डबल सीटिड डैस्क, ₹1900 प्रति डैस्क की दर से क्रय किए जाते, तब 71 डैस्कों (135000/1900) का क्रय करके 142 छात्रों (71X2) के बैठने की व्यवस्था की जा सकती थी। इसी तरह यदि ₹135000/— से तीन सीटिड डैस्क,

₹2150/– प्रति डैस्क की दर से क्रय किया जाता तब लगभग 63 डैस्कों (135000/2150=62.79) का क्रय करके 189 छात्रों (63X3) के बैठने की व्यवस्था की जा सकती थी। अतः क्रय से पूर्व उपरोक्त उल्लेखित वास्तविकता को मध्यनजर न रखने बारे स्थिति स्पष्ट की जाए।

(ii) उपरोक्त उल्लेखित क्रय किए गए 100 एकल सीटिड डैस्कों को अभी तक अभिलेखानुसार किसी भी कक्षा को जारी नहीं किया गया। उक्त 100 एकल सीटिड डैस्कों को दिनांक 11.6.10 को क्रय करना व माह 3/2013 तक लगभग तीन वर्ष व्यतीत हो जाने के बाद भी किसी भी कक्षा को जारी न करने का औचित्य स्पष्ट किया जाए व जारी करने से सम्बन्धित अभिलेख तैयार करने उपरान्त सत्यापना हेतु आगामी अंकेक्षण में प्रस्तुत किया जाए।

12 **मिश्रित निधि से बिजली व टैलीफोन बिलों का अनियमित भुगतानः'–**

व्यय की जांच करने पर पाया गया कि मिश्रित निधि से विभिन्न मासों के दौरान विभिन्न वाऊचरों के अन्तर्गत बिजली व टैलीफोन के बिलों का भुगतान किया गया जिसका विवरण निम्नलिखित प्रकार से हैः–

क्र0सं0	**वा0सं0**	**माह**	**राशि (₹)**	**विवरण**
1	31	11/08	2168	बिजली बिल
2	116	11/09	683	टैलीफोन बिल 11/09
3	262	3/12	895	टैलीफोन बिल 1/12
4	273	3/12	937	टैलीफोन बिल 2/12
		योग	**4683**	

उपरोक्त उल्लेखित बिजली व टैलीफोन के बिलों का भुगतान मिश्रित निधि से करने का हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय अध्यादेश 1973 के अध्याय XLII में प्रधानाचार्य को मिश्रित निधि से व्यय करने की शक्तियों में कोई प्रावधान नहीं हैं अतः सम्पूर्ण राशि की उचित स्त्रोत से प्रतिपूर्ति करने उपरान्त मिश्रित निधि में जमा करवाई जानी सुनिश्चित की जाए। अनुपालना से आगामी अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

13 मिश्रित निधि से ब्लैक बोर्ड क्रय करने पर ₹13000/– का अनियमित व्ययः–

व्यय की जांच करने पर पाया गया कि मिश्रित निधि से बिल संख्या 37, दिनांक 4.7.11 को सतगुरू इन्टरप्राईजिज, नगरोटा सूरियां को निम्नलिखित सामान क्रय करने पर ₹13000.00 का भुगतान किया गया।

क्र0सं0	सामान का विवरण	मात्रा	दर (₹)	मूल्य (₹)
1	ब्लैक बोर्ड	5	2600	13000

(i) हिमाचल प्रदेश शिक्षा संहिता 2001 व हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय अध्यादेश 1973 के अध्याय XLII के अनुसार मिश्रित निधि से उपरोक्त उल्लेखित सामान क्रय करने का कोई प्रावधान नहीं है। फलस्वरूप उक्त व्यय निधि पर उचित एवं वैध प्रभार न होकर अनाधिकृत एवं अनियमित व्यय है।। अतः उक्त अनाधिकृत एवं अनियमित व्यय की उचित स्त्रोत से प्रतिपूर्ति करने उपरान्त, यह राशि सम्बन्धित निधि में जमा करवाई जानी सुनिश्चित की जाए व अनुपालना से आगामी अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

(ii) उपरोक्त ब्लैक बोर्डों को दर संविदा प्राप्त फर्म से क्रय न करने का औचित्य स्पष्ट किया जाए व दर संविदा प्राप्त फर्म की दरों की तुलना क्रय दरों से करने उपरान्त, किसी भी प्रकार के अधिक भुगतान की वसूली सम्बन्धित अधिकारी/कर्मचारी से की जाए।

14 मिश्रित निधि से छत के पंखे क्रय करने पर ₹6350.00 का अनियमित व्ययः–

व्यय की जांच करने पर पाया गया कि मिश्रित निधि से वाऊचर संख्या 152, माह 8/10 के दौरान कुमार रेडियो सर्विस, कांगड़ा से 5 सीलिंग पंखे क्रय करने पर ₹6350.00 का भुगतान किया गया, जिसका विवरण निम्नलिखित प्रकार हैः–

क्र0सं0	बिल सं0/दिनांक	सामान का विवरण	मात्रा	दर (₹)	मूल्य (₹)
1	1974/14.7.10	सीलिंग पंखे (ऊषा)	5	1270	6350

(i) हिमाचल प्रदेश शिक्षा संहिता 2001 व हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय अध्यादेश 1973 के अध्याय XLII के अनुसार मिश्रित निधि से उपरोक्त उल्लेखित सीलिंग पंखे खरीदने का कोई

प्रावधान नहीं है। फलस्वरूप उक्त व्यय निधि पर उचित एवं वैध प्रभार न होकर अनाधिकृत एवं अनियमित व्यय है।। अतः उक्त अनाधिकृत एवं अनियमित व्यय की उचित स्त्रोत से प्रतिपूर्ति करने उपरान्त, यह राशि सम्बन्धित निधि में जमा करवाई जानी सुनिश्चित की जाए व कृत कार्यवाही से आगामी अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

(ii) उपरोक्त उल्लेखित छत के पंखों को दर संविदा प्राप्त फर्म से क्रय न करने का औचित्य स्पष्ट किया जाए व दर संविदा प्राप्त फर्म की दरों की तुलना क्रय दरों से करने उपरान्त, किसी भी प्रकार के अधिक भुगतान की वसूली सम्बन्धित उत्तरदायी अधिकारी/कर्मचारी से की जाए।

15 <u>मिश्रित निधि से कम्पयूटर यू0पी0एस0 व प्रिंटर क्रय करने पर ₹51200.00 का अनियमित व्यय व क्रय सरकारी उपक्रम से न करनाः–</u>

व्यय की जांच करने पर पाया गया कि मिश्रित निधि से चैक संख्या 785919 के अन्तर्गत ₹51200.00 का भुगतान कम्पयूटर सैट क्रय करने पर ए0बी0सी0 इन्फोटैक प्राईवेट लिमिटेड, धर्मशाला को किया गया, जिसका विवरण निम्नलिखित प्रकार से है:–

क्र0 सं0	वा0सं0/दिनांक	फर्म का नाम एवं पता	सामान का विवरण	मात्रा	दर (₹)	मूल्य (₹)
1	138/12.4.10	ए0बी0सी0 इन्फोटैक प्राईवेट लिमिटेड, धर्मशाला	डैल इन्सपाईरेशन 5605, विण्डो–7 डैस्कटॉप कम्पयूटर	1	30500	30500
			यू0पी0एस0 (इन्टैक्स)	1	1700	1700
			प्रिंटर (एच0पी0 लेजर जैट) प्रिंट, स्केन, कॉपीयर	1	19000	19000
					योग	**51200**

उपरोक्त उल्लेखित व्यय वाऊचर की जांच करने पर निम्नलिखित अनियमितताएं पाई गई है।

(i) हिमाचल प्रदेश शिक्षा संहिता 2001 व हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय अध्यादेश 1973 के अध्याय XLII के अनुसार मिश्रित निधि से उपरोक्त उल्लेखित सामान क्रय करने का कोई प्रावधान नहीं है। फलस्वरूप उक्त व्यय निधि पर उचित एवं वैध प्रभार न होकर अनाधिकृत एवं अनियमित व्यय है। अतः उक्त अनाधिकृत एवं अनियमित व्यय की उचित स्त्रोत से प्रतिपूर्ति करने उपरान्त, यह राशि सम्बन्धित निधि में जमा करवाई जानी सुनिश्चित की जाए। अनुपालना से आगामी अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

(ii) उपरोक्त उल्लेखित कम्पयूटर सैट एवं प्रिंटर को हिमाचल प्रदेश राज्य इलैक्ट्रानिक कार्पोरेशन, खलीनी से क्रय न करके ए0बी0सी0 इन्फोटैक प्राईवेट लिमिटेड धर्मशाला से किया गया, जबकि सरकार द्वारा समय–2 पर जारी निर्देशों को ध्यान में रखते हुए उक्त क्रय को हिमाचल प्रदेश राज्य इलैक्ट्रानिक कार्पोरेशन, खलीनी जोकि एक सरकारी उपक्रम है, से किया जाना आपेक्षित था। अतः सरकारी उपक्रम हिमाचल प्रदेश राज्य इलैक्ट्रानिक कार्पोरेशन, खलीनी से उक्त क्रय न करके ए0बी0सी0 इन्फोटैक प्राईवेट लिमिटेड कम्पनी धर्मशाला से करने का औचित्य स्पष्ट किया जाए एवं उपरोक्त उल्लेखित कम्पयूटर सैट एवं प्रिंटर की हिमाचल प्रदेश राज्य इलैक्ट्रानिक कारपोरेशन खलीनी की निर्धारित दरों से तुलना करने उपरान्त, किसी भी अधिक एवं गलत भुगतान की वसूली, सम्बन्धित उत्तरदायी अधिकारी/ कर्मचारी से की जानी सुनिश्चित की जाए व अनुपालना से आगामी अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए। भविष्य में इस प्रकार की त्रुटि को न दोहराते हुए क्रय उपरोक्त सरकारी उपक्रम से ही किया जाए।

16 <u>₹55000/–के अग्रिम के समायोजन वाऊचरों का न होनाः–</u>

माह फरवरी 2012 में विश्वविद्यालय निधि में बैंक ड्राफ्ट संख्या 115858 के अन्तर्गत दिनांक 22.2.12 को ₹55000.00 की आय स्नातक विभाग की वार्षिक परीक्षाएं सम्पन्न करवाने हेतु अग्रिम राशि प्राप्त हुई, जिसे उक्त निधि के आय पक्ष में दर्ज किया गया व उक्त राशि को दिनांक 9.3.12 को चैक संख्या 791037 के अन्तर्गत ₹20000.00 की राशि श्री जयपाल सिंह, लिपिक व चैक संख्या 791038 के अन्तर्गत ₹35000.00 की राशि श्री मीर मुहम्मद अधीक्षक को अग्रिम रूप में प्रदान की गई लेकिन उक्त अग्रिम राशि के व्यय से सम्बन्धित कोई भी बिल/वाऊचर अभिलेख में मौजूद नहीं है। व्यय बिल/वाऊचर के अभाव में अग्रिम राशि के दुरूपयोग की सम्भावना से इन्कार नहीं किया जा सकता है। अतः वांन्छित बिल/वाऊचर आगामी अंकेक्षण में सत्यापना हेतु प्रस्तुत किया जाए, ताकि किसी भी दुरूपयोग की सम्भावना

को नकारा जा सके। दुरूपयोग की अवस्था में सम्पूर्ण राशि की सम्बन्धित कर्मचारियों से नियमानुसार वसूली की जाए।

17 अग्रिम राशि व्यय करने के उपरान्त शेष बची ₹7053.00 की राशि को 5 माह 13 दिन बाद निधि लेखा में जमा करवानाः–

पुस्तकालय प्रतिभूति निधि से वाऊचर संख्या 227 दिनांक 17.9.11 को श्री जयपाल, लिपिक को ₹10000.00 की अग्रिम राशि किताबों व अन्य सामान को क्रय करने के एवज में दी गई जिसमें से ₹2947.00 का व्यय किया गया व शेष ₹7053.00 को 5 माह 13 दिन उपरान्त रसीद संख्या 0404362 दिनांक 30.3.12 को जमा करवाया गया जिससे स्वतः स्पष्ट है कि उक्त कर्मचारी द्वारा ₹7053.00 का 5 माह 13 दिन तक छात्र निधि का दुरूपयोग किया गया। पाई गई त्रुटि बारे स्थिति स्पष्ट की जाए व निधि लेखा को हुई ब्याज की जिम्मेवारी निर्धारित की जाए। इसके अतिरिक्त भविष्य में अग्रिम राशि अनुमानित व्यय की 90**%** प्रतिशत ही दी जानी सुनिश्चिम की जाए ताकि अस्थाई दुरूपयोग की प्रवृति पर रोक लगाई जानी सम्भव हो सके। कृत कार्यवाही से आगामी अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

18 नियमों के विपरीत जलपान की राशि नकद रूप में वितरित किए जाने बारेः–

व्यय की जांच करने पर पाया गया कि खेल निधि से इन्टर कॉलेज हॉकी प्रतियोगिता, सुन्दरनगर के पूर्वाभ्यास मैचों में जलपान व्यय के रूप में अवधि 1.11.11 से 10.11.11 तक 10 दिन हेतु ₹25.00 प्रति छात्र, प्रति मैच की दर से, 15 छात्रों हेतु ₹3750.00 का भुगतान निम्न वर्णित चैकों के अन्तर्गत नगद वितरण करने हेतु किया गया।

क्र0सं0	**चैक सं0**	**दिनांक**	**प्रति छात्र देय राशि**	**कुल व्यय (₹)**
1	792909 से 792920 12 छात्रों हेतु	31.3.12	250	3000
2	555651 से 555653 3 छात्रों हेतु	31.3.12	250	750
				3750

हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय अध्यादेश 1973 के अध्याय XLII व शिक्षा संहिता 2001 के नियम 4.6.2 (F) में दिए गए नोट के अनुसार किसी भी छात्र को नकद राशि नहीं दी जा सकती है। अतः नियमों के विपरीत जलपान के रूप में नकद वितरित की गई राशि का औचित्य स्पष्ट किया जाए व भविष्य में इस प्रकार की त्रुटि को न दोहराया जाए व अनुपालना से आगामी अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

19 निर्धारित औपचारिकताएं पूर्ण बगैर उत्तरपुस्तिकाओं का क्रय किया जानाः—

व्यय की जांच करने पर पाया गया कि मिश्रित निधि से वाऊचर संख्या 44, दिनांक 22.12.08 को अभय प्रिटिंग प्रैस, हरिपुर को उत्तरपुस्तिकाओं के क्रय करने पर ₹7200.00 का भुगतान किया गया जिसका विवरण निम्नलिखित प्रकार से हैः—

क्र0सं0	सामान का विवरण	मात्रा	दर (₹)	मूल्य (₹)
1	उत्तरपुस्तिकाएं (20 पेज वाली)	3000	2.40	7200

उपरोक्त उल्लेखित उत्तरपुस्तिकाओं को क्रय करने से पूर्व आवश्यक/निर्धारित औपचाकिरताएं पूर्ण नहीं की गई है अर्थात निविदाएं आमन्त्रित नहीं की गई। निविदाओं के अभाव में यह सुनिश्चित नहीं किया जा सकता, कि उक्त क्रय न्यूनतम दरों पर किया गया है। ऐसा प्रतीत होता है कि फर्म को अप्रत्याशित लाभ देने के प्रयोजन से बिना बाजारीय प्रतिस्पर्धा का लाभ उठाएं उच्च दरो ंपर क्रय किया गया, जिसका औचित्य स्पष्ट किया जाए। भविष्य में उत्तरपुस्तिकाओं का क्रय निर्धारित औपचारिकताएं पूर्ण करने उपरान्त ही किया जाना सुनिश्चित किया जाए व अनुपालना से आगामी अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

20 कम्पयूटर ऑप्रेटर के नियमों के विपरीत ₹7926.00 का भुगतानः—

व्यय की जांच करने पर पाया गया कि मिश्रित निधि से विभिन्न वाऊचरों के अन्तर्गत कम्पयूटर में इन्टरनल असैस्मैन्ट व सी0डी0 बनवाने हेतु कम्पयूटर आप्रेटर को ₹7926.00 का भुगतान किया गया जिसका विवरण निम्नलिखित प्रकार से हैः—

क्र0सं0	वा0सं0 / माह / दिनांक	नाम	भुगतान की गई राशि (₹)	चैक सं0
1	155 9 / 10	श्री विनय मोहन भारती (कम्पयूटर ऑप्रेटर)	995	787263
2	241 / 17.11.11	श्री राजेश कुमार (कम्पयूटर ऑप्रेटर)	1673	817934
3	275 / 30.3.12	श्री राजेश कुमार (कम्पयूटर ऑप्रेटर)	5258 7926	175018

हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय अध्यादेश 1973 के अध्याय XLII के नियम 4.2.3 के अन्तर्गत प्रधानाचार्य को स्वीकृत पद के विरूद्ध केवल तीन माह तक अस्थाई नियुक्ति करने का अधिकार है। महाविद्यालय में कम्पयूटर ऑप्रेटर का कोई भी स्वीकृत पद नहीं है। फलस्वरूप उक्त व्यय निधि पर उचित एवं वैध प्रभार न होकर अनाधिकृत एवं अनियमित व्यय है। अतः उक्त व्यय की उचित स्त्रोत से प्रतिपूर्ति करने उपरान्त, यह राशि सम्बन्धित निधि में जमा करवाई जानी सुनिश्चित की जाए व कृत कार्यवाही से आगामी अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

21 वार्षिक पारितोषिक वितरण समारोह के दौरान ₹11610.00 के ईनामों के वितरण से सम्बन्धित अभिलेख का न होनाः–

व्यय की जांच करने पर पाया गया कि विभिन्न निधियो ंसे विभिन्न वाऊचरों के अन्तर्गत, विभिन्न मासों के दौरान ईनामों का क्रय किया गया, जिसका विवरण निमनलिखित प्रकार से हैः–

मिश्रित निधिः–

क्र0सं0	व0सं0 / दिनांक	फर्म का नाम एवं पता	समान का विवरण	मात्रा	दर (₹)	मूल्य (₹)
1	265 / I / 19.3.12	सपना ट्रेडर्स, नादौन	स्मृति चिन्ह (बड़ा आकार) स्मृति चिन्ह (छोटा आकार)	3 26	150 100	450 2600
						3050
					वैट 5**%**	152.50
						3202.50
					भुगतान	**3203**
2	265 / II / 19.3.12	सपना ट्रेडर्स, नादौन	स्मृति चिन्ह (मॉडल 3012) स्मृति चिन्ह (मॉडल 3010) स्मृति चिन्ह (ऑस्कर छोटा आकार)	4 13 8	150 110 100	600 1430 800
						2830
					वैट 5**%**	141.50
						2971.50
					भुगतान	2972
3	365 / II / 19.3.12	सपना ट्रेडर्स, नादौन	स्मृति चिन्ह (आर0 डब्लयू)	13	130	1690
			स्मृति चिन्ह	26	100	2600

			(ऑस्कर)			
						4290
					वैट 5**%**	214.50
						4504.50
		स्काऊट एंड गाईड निधि				
4	3/3/12	सपना ट्रेडर्स, नादौन	स्मृति चिन्ह (मॉडल 3012)	4	150	600
			स्मृति चिन्ह (मॉडल 3010)	3	110	330
						930
			क्रम संख्या 1 से 4 तक का कुल योग			**11610**

उपरोक्त उल्लेखित क्रय किए गए स्मृति चिन्हों (ईनामों) की स्टॉक रजिस्टर में स्टॉक प्रविष्टियॉ मौजूद है। लेकिन वितरण से सम्बन्धित अभिलेख नियमानुसार नहीं रखा गया अर्थात किस–2 छात्र को कौन–2 सा ईनाम बांटा गया है उनका नाम, रोल नम्बर व कक्षा का उल्लेख सम्बन्धित अभिलेख में मौजूद नहीं है व न ही वितरण सूची अभिलेख में संलग्न है। उक्त अभिलेख के अभाव में बांटे दर्शाए गए ईनामों को नियमानुसार उचित नहीं ठहराया जा सकता है एवं किसी भी दुरूपयोग की सम्भावना से इन्कार नहीं किया जा सकता। अतः वांन्छित अभिलेख सत्यापना हेतु आगामी अंकेक्षण में प्रस्तुत किया जाए ताकि बांटे दर्शाए गए ईनामों को नियमानुसार उचित ठहराया जा सके। किसी भी दुरूपयोग की अवस्था में सम्पूर्ण राशि की वसूली दुरूपयोग करने हेतु उत्तरदायी अधिकारी/कर्मचारी से की जानी सुनिश्चित की जाए।

22 वार्षिक पारितोषिक वितरण समारोह के दौरान ₹8492.00 की किताबों का अनावश्यक क्रयः–

व्यय की जांच करने पर पाया गया कि अनुपस्थिति शुल्क निधि से वाऊचर संख्या–2 दिनांक 17.2.12 के अन्तर्गत, वार्षिक पारितोषिक वितरण समारोह के दौरान ईनामों के रूप में यूनिवर्सल बुक डिपो, चण्डीगढ़ को, 254 किताबों के क्रय करने पर ₹31052.00 का भुगतान किया गया। उक्त क्रय की गई किताबों को वार्षिक पारितोषिक वितरण समारोह में ईनामों के रूप में बांटने उपरान्त 93 किताबें जिनका मूल्य ₹8492.00 है शेष बची हुई दर्शाई गई जिससे स्पष्ट होता है कि क्रय करने पूर्व मॉग को उचित प्रकार से तैयार नहीं किया गया। क्रय की गई किताबों में से ₹8492.00 के मूल्य की 93 किताबें शेष बचना अनावश्यक क्रय एवं व्यर्थ व्यय को परिलक्षित करता है। यद्यपि शेष बची 93 किताबों को पुस्तकालय के किताबों के रजिस्टर में दर्ज कर लिया गया तथापि अनावश्यक क्रय एवं व्यर्थ व्यय को नकारा नहीं जा सकता। अतः अनावश्यक व्यय एवं व्यर्थ क्रय करने हेतु उत्तरदायी अधिकारी/कर्मचारी के विरूद्ध नियमानुसार अपेक्षित कार्यवाही की जाए व भविष्य में इस प्रकार की त्रुटि को न दोहराया जाए व अनुपालना से आगामी अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

23 मिश्रित निधि से प्रिटंर व कम्पयूटर के अन्य सामान का अनियमित क्रय एवं स्टॉक प्रविष्टि का न होनाः–

व्यय की जांच करने पर पाया गया कि मिश्रित निधि से निम्नलिखित व्यय वाऊचरों के अन्तर्गत प्रिंटर व कम्पयूटर से सम्बन्धित सामान क्रय किया गया, जिसका विवरण निम्नलिखित प्रकार से हैः–

क्र0सं0	वा0सं0/माह	फर्म का नाम एवं पता	सामान का विवरण	मात्रा	दर (₹)	मूल्य (₹)
1	46/शून्य	गोल्डी कम्पयूटर सैन्टर, हरिपुर	एच0पी0 डैस्कजैट प्रिंटर डी–1560	1	2350	2350
2	48/शून्य	गोल्डी कम्पयूटर सैन्टर, हरिपुर	की–बोर्ड माऊस	1	200	200

रेम	1	150	150
विण्डो	1	400	400
इन्स्टॉलेशन व्यय	1	200	200
			950
क्र0सं0 (1) व (2) का कुल योग (2350+950)			**3300**

(i) हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय अध्यादेश 1973 के अध्याय XLII के अनुसार मिश्रित निधि से उपरोक्त उल्लेखित व्यय करने का कोई प्रावधान नहीं है। फलस्वरूप उक्त व्यय निधि पर उचित एवं वैध प्रभार न होकर अनाधिकृत एवं अनियमित व्यय है। अतः उक्त अनाधिकृत एवं अनियमित व्यय की उचित स्त्रोत से प्रतिपूर्ति करने उपरान्त यह राशि सम्बन्धित निधि में जमा करवाई जानी सुनिश्चित की जाए कृत कार्यवाही से आगामी अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

(ii) उपरोक्त उल्लेखित क्रय किए गए सामान की स्टॉक रजिस्टर में स्टॉक प्रविष्टि व जारी करने से सम्बन्धित अभिलेख मौजूद नहीं है। क्रय किए गए सामान के दुरूपयोग की सम्भावना से इन्कार नहीं किया जा सकता। अतः वांन्छित अभिलेख तैयार करने उपरान्त सत्यापना हेतु आगामी अंकेक्षण में प्रस्तुत किया जाए ताकि क्रय किए गए सामान के दुरूपयोग की सम्भावना को नकारा जा सके। किसी भी दुरूपयोग की अवस्था मे सम्पूर्ण राशि की वसूली दुरूपयोग करने हेतु उत्तरदायी अधिकारी/कर्मचारी से की जानी सुनिश्चित की जाए।

24 पुस्तकालय प्रतिभूति निधि से खरीदे गए स्थाई सामान की स्टॉक प्रविष्टि का न होना एवं बिल का आहरण एवं वितरण अधिकारी द्वारा सत्यापित एवं भुगतान हेतु पारित न करनाः—

व्यय की जांच करने पर पाया गया कि पुस्तकालय प्रतिभूति निधि से माह 8/10 के दौरान फर्नीचर फैक्टरी बिलासपुर से बुक केस क्रय करने पर ₹9450.00 का भुगतान किया गया, जिसका विवरण निम्नलिखित प्रकार से है।

क्र0सं0	वा0सं0 / माह	फर्म का नाम व पता	सामान का विवरण	मात्रा	छर (₹)	मूल्य (₹)
1	7/8/10	फर्नीचर फैक्टरी बिलासपुर	बुक केस (4 खाने वाली)	2	4500	9000
					वैट 5%	450
						9450

उपरोक्त उल्लेखित व्यय की जांच करने पर निम्नलिखित अनियमितताए ंपाई गई है।

(i) उपरोक्त उल्लेखित क्रय किए गए बुक केस की स्टॉक रजिस्टर में स्टॉक प्रविष्टि मौजूद नहीं है। स्टॉक प्रविष्टि के अभाव में क्रय किए गए सामान के दुरूपयोग की सम्भावना से इन्कार नहीं किया जा सकता। अतः आवश्यक सत्यापनोपरान्त वांन्छित अभिलेख तैयार करके सत्यापना हेतु आगामी अंकेक्षण में प्रस्तुत किया जाए ताकि क्रय किए गए सामान के दुरूपयोग की सम्भावना को नकारा जा सके।

(ii) उपरोक्त उल्लेखित क्रय किए गए सामान के बिल/वाऊचर को आहरण एवं वितरण अधिकारी द्वारा सत्यापित एवं भुगतान हेतु पारित नहीं किया गया। अतः उक्त बिल/वाऊचर को आहरण एवं वितरण अधिकारी से सत्यापित एवं भुगतान हेतु पारित करवाने उपरान्त सत्यापना हेतु आगामी अंकेक्षण में प्रस्तुत किया जाए।

25 नियमों के विपरीत रोबर एंड रेंजर को वर्दी क्रय करने पर राशि नकद रूप में वितरित किए जाने बारेः–

व्यय की जांच करने पर पाया गया कि स्काऊंट एंड गाईड निधि से वाऊचर संख्या 4 के अन्तर्गत ₹11000/– की राशि रोबर एंड रेंजर लीडर व रोबर एंड रेंजर छात्रों को वर्दी क्रय करने हेतु नकद भुगतान की गई जिसका विवरण निम्नलिखित प्रकार से हैः–

क्र0सं0	चैक सं0 / दिनांक	विवरण	राशि (₹)
1	शून्य	रोबर लीडर वर्दी (1X700)	700
2	शून्य	रेंजर लीडर वर्दी (1X700)	700
3	792785 से 792800 23.3.12	रोबर एंड रेंजर वर्दी (16X600)	9600
			11000

यद्यपि उक्त वर्दियों की स्टॉक प्रविष्टि स्टॉक रजिस्टर में दर्ज है तथापि शिक्षा संहिता 2001 के नियम 4.6.2 (F) में दिए गए नोट के अनुसार "किसी भी छात्र को नकद राशि नहीं दी जा सकती है"। अतः नियमों के विपरीत वर्दी क्रय करने पर नकद वितरित की गई राशि का औचित्य स्पष्ट किया जाए व भविष्य में इस प्रकार की त्रुटि को न दोहराया जाए व अनुपालना से आगामी अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

26 ₹1000.00 की डाक टिकटों का अनियमित क्रयः–

व्यय की जांच करने पर पाया गया कि मिश्रित निधि से निम्नलिखित व्यय वाऊचरों के अन्तर्गत डाक टिकटों के क्रय करने पर ₹1000.00 का व्यय किया गयाः–

क्र0सं0	वा0सं0 / दिनांक	राशि (₹)	विवरण
1	2 / 15.7.08	500	डाक टिकटें
2	270 / 22.3.12	500	डाक टिकटें (श्री इकबाल सिंह)
	योग	**1000**	

यद्यपि हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय अध्यादेश 1973 के अध्याय XLII के नियमों में डाक टिकटें क्रय करने का प्रावधान है लेकिन उक्त मिश्रित निधि से खरीदी गई डाक टिकटों का अलग से स्टाक लेखा व व्यय का रिकार्ड रखना अनिवार्य है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा

सके कि उक्त टिकटों का व्यय छात्र कल्याण हेतु ही किया गया महाविद्यालय द्वारा अलग से स्टॉक रजिस्टर व डाक टिकटों का व्यय का रिकार्ड न रखने की स्थिति में उक्त व्यय अनियमित है। अतः वांन्छित अभिलेख तैयार करके जांच हेतु आगामी अंकेक्षण में प्रस्तुत किया जाए ताकि डाक टिकटों के दुरूपयोग की सम्भावना को नकारा जा सके। इसके अतिरिक्त क्रम संख्या 2 पर उल्लेखित ₹500.00 की राशि की डाक टिकटों के क्रय करने हेतु श्री इकबाल सिंह को ऋण के रूप में दर्शाई गई। अतः उक्त ऋण के रूप में दर्शाई गई राशि की उचित स्त्रोत से प्रतिपूर्ति करने उपरान्त यह राशि सम्बन्धित निधि में जमा करवाई जानी सुनिश्चित की जाए। अनुपालना से आगामी अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

27 जलपान पर व्यय दर्शाई गई राशि के बिल/वाऊचर, संयुक्त भोजनालय की रसीदें अभिलेख में न होना व वास्तविक व्यय से अधिक अग्रिम राशि दिया जाने बारेः–

व्यय की जांच करने पर पाया गया कि मिश्रित निधि से विभिन्न वाऊचरों के अन्तर्गत, विभिन्न मासों के दौरान व्यय किया गया, जिसका विवरण निम्नलिखित प्रकार से है।

क्र0सं0	वा0सं0/माह/दिनांक	प्रतियोगिता का नाम व अवधि	विवरण	राशि (₹)
1	40/17.12.08	हि0प्र0यू0 इन्टर कॉलेज फुटबाल चैम्पियनशिप, दौलतपुर चौक 20.12.08 से 21.12.08 तक	पूर्वाभ्यास मैचों के दौरान जलपान व्यय, दिनांक 10.12.08 से 19.12.08 (15 छात्र, ₹10 प्रति छात्र 10 मैचों हेतु)	1500
			यात्रा भत्ता व दैनिकी भत्ता	278
			(टीम मैनेजर श्री देवेन्द्र सिंह) दैनिकी भत्ता दिनांक 20.12.08 से 21.12.08 तक (15 छात्र, ₹75 प्रति छात्र की दर से 2 दिन हेतु)	2250
			किराया	1298

			दरी व्यय	60
			स्थानापन्न व्यय	300
			दवाईयां (ग्लूकॉज)	18
				5704
			श्री देंवेन्द्र सिंह को दी गई अग्रिम राशि	8000
			शेष राशि	**2296**
	दिनांक 22.12.08 को निधि में जमा करवा दी गई है।			
2	115/12/09	प्रकाश चन्द कबडडी प्रतियोगिता, चम्बा दिनांक 11.10.09 से 13.10.09 तक	दैनिकी भत्ता (12 छात्र, ₹75 प्रति छात्र की दर से 4 दिने हेतु)	3600
			जलपान व्यय	160
			दरी व्यय	600
			स्थानापन्न व्यय	200
			किराया	3083
		दैनिकी भत्ता व यात्रा भत्ता (प्रकाश गौतम)		726
				8369
			अग्रिम राशि	8000
			शेष भुगतान	**369**

उपरोक्त उल्लेखित व्यय की जांच करने पर निम्नलिखित अनियमितताएं पाई गई।

(i) उपरोक्त क्रम संख्या 1 पर उल्लेखित पूर्वाभ्यास मैचों के दौरान जलपान पर व्यय दर्शाई गई राशि से सम्बन्धित कोई भी बिल/वाऊचर अभिलेख में मौजूद नहीं है। जलपान पर व्यय दर्शाई गई राशि के बिल/वाऊचरों के अभिलेख के अभाव में जलपान पर व्यय दर्शाई गई राशि के दुरूपयोग की सम्भावना से इन्कार नहीं किया जा सकता है। अतः वांन्छित अभिलेख आगामी

अंकेक्षण में सत्यापना हेतु प्रस्ततु किया जाए। अन्यथा सम्पूर्ण राशि की वसूली भुगतान करने हेतु उतरदायी अधिकारी/कर्मचारी से की जानी सुनिश्चित की जाए।

(ii) उपरोक्त क्रम संख्या 1 व 2 पर उल्लेखित दैनिकी भत्ते के रूप में भुगतान की गई राशि ₹5850.00 को आयोजक महाविद्यालय के संयुक्त भोजनालय में जमा नहीं करवाई गई। संयुक्त भोजनालय की रसीदें अभिलेख में मौजूद नहीं है। शिक्षा संहिता 2001 के नियम 4.6.2 (F) में दिए गए नोट के अनुसार किसी भी छात्र को नकद राशि नहीं दी जा सकती है व शिक्षा संहिता 2001 के नियम 4.6.1 (X) के अनुसार खेलकूद प्रतियोगिताओं के दौरान छात्रों को देय दैनिकी भत्ते की राशि को संयुक्त भोजनालय में जमा करवाया जाना व संयुक्त भोजनालय की रसीद प्राप्त करना आपेक्षित है। संयुक्त भोजनालय की रसीदों के अभाव में किसी भी दुरूपयोग की सम्भावना से इन्कार नहीं किया जा सकता। अतः वांन्छित संयुक्त भोजनालय की रसीद को सम्बन्धित आयोजक महाविद्यालय से प्राप्त करके सत्यापना हेतु आगामी अंकेक्षण में प्रस्तुत किया जाए ताकि किसी भी दुरूप्प्रोग की सम्भावना को नकारा जा सके।

(iii) उपरोक्त क्रम संख्या 1 पर उल्लेखित प्रयोजन हेतु अग्रिम राशि की स्वीकृति करते समय अग्रिम राशि की अधिकतम सीमा, अनुमानित व्यय का 70 प्रतिशत को ध्यान में नहीं रखा गया जबकि वित्तीय नियमों के अनुसार अग्रिम राशि की अधिकतम सीमा, अनुमानित व्यय का 70 प्रतिशत ही स्वीकृत किया जा सकता है। अतः व्यय से अधिक ₹2296.00 अग्रिम राशि के रूप में दिए जाने का औचित्य स्पष्ट किया जाए जाए व भविष्य में अग्रिम राशि की स्वीकृति करने से पूर्व अनुमानित व्यय का आंकलन करने उपरान्त ही अधिकतम 70 प्रतिशत अनुमानित व्यय का ही अग्रिम के रूप में स्वीकृत किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

28 सांस्कृतिक कार्यक्रम के पूर्वाभ्यास हेतु कमरे को किराये पर लेने बारेः–

व्यय की जांच करने पर पाया गया कि मिश्रित निधि से वाऊचर संख्या 272 दिनांक 27.3.12 को श्रीमती संजीवना कुमारी पत्नी श्री विरेन्द्र कुमार, हरिपुर को ₹750.00 का भुगतान सांस्कृतिक कार्यक्रम के पूर्वाभ्यास हेतु कमरा, आंगन व बरामदा किराये पर लेने हेतु किया गया। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय अध्यादेश 1973 के अध्याय XLII के अनुसार निधियों से उक्त व्यय करने का कोई प्रावधान नहीं है। फलस्वरूप उक्त व्यय निधि पर उचित एवं वैध प्रभार न होकर अनाधिकृत एवं अनियमित व्यय है। अतः उक्त व्यय को नियमानुसार उचित

ठहराया जाए अन्यथा उचित स्त्रोत से प्रतिपूर्ति करने उपरान्त यह राशि सम्बन्धित निधि में जमा करवाई जानी सुनिश्चित की जाए। अनुपालना से आगामी अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

29 (i) ₹20000.00 का वापिस न लौटाया जानाः—

जांच करने पर पाया गया कि मिश्रित निधि से माह 3/12 के दौरान पी0टी0ए0 निधि को ऋण के रूप में ₹20000.00 दिए गए। लेकिन उक्त दिए गए ऋण राशि ₹20000.00 को दिनांक 31.3.2012 तक वापिस निधि में जमा नहीं करवाया गया। अतः उक्त ऋण राशि को पी0टी0ए0 निधि से वसूली करके मिश्रित निधि में वापिस जमा करवाया जाना सुनिश्चित किया व अनुपालना से आगामी अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

(ii) ₹2200.00 का वापिस न लौटाया जानाः—

जांच करने पर पाया गया कि मिश्रित निधि से वाऊचर संख्या 271 दिनांक 23.3.12 को चैक संख्या 175014 दिनांक 23.3.12 को ₹2200.00 का ऋण परीक्षा निधि को दिया गया। लेकिन उक्त दिए गए ऋण को दिनांक 31.3.12 तक वापिस निधि में जमा नहीं करवाया गया। अतः उक्त ऋण राशि को परीक्षा निधि से वसूली करके मिश्रित निधि में वापिस जमा करवाया जाना सुनिश्चित किया जाए व अनुपालना से आगामी अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

30 अग्रिम रजिस्टर तैयार न करनाः—

अंकेक्षण अवधि के दौरान विभिन्न निधियों से विभिन्न प्रयोजनों हेतु अग्रिम राशियां महाविद्यालय के अधिकारियों व कर्मचारियों को दी गई, लेकिन महाविद्यालय द्वारा अग्रिम राशि दिए जाने से सम्बन्धित अग्रिम रजिस्टर तैयार नहीं किया गया। अग्रिम रजिस्टर के अभाव में यह सुनिश्चित नहीं किया जा सकता कि अंकेक्षण अवधि के दौरान विभिन्न उद्देश्यों एवं प्रयोजनों हेतु महाविद्यालय के अधिकारियों व कर्मचारियों को दिए गए अग्रिमों का समायोजन हो गया है अथवा नहीं। अतः अवधि 1.4.7 से 31.3.12 तक का अग्रिम रजिस्टर पूर्ण विवरण सहित स्वतः स्पष्ट किया जाए व सत्यापना हेतु आगामी अंकेक्षण में प्रस्तुत किया जाए ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि अंकेक्षण अवधि के दौरान दी गई अग्रिम राशियों का समायोजन हो चुका है व किसी भी अधिकारी/कर्मचारी से कोई भी राशि वसूली हेतु शेष नहीं है।

31 सरकारी खजाने में जमा करवाई गई राशि का मिलान न करनाः–

अंकेक्षण अवधि के दौरान महाविद्यालय द्वारा सरकारी खजाने में जमा करवाई गई राशि का सरकारी कोष के साथ नहीं किया गया जबकि प्रत्येक वित्तीय वर्ष के दौरान सरकारी खजाने में जमा करवाई गई राशि का मिलान प्रत्येक वित्तीय वर्ष के अन्त में किया जाना अनिवार्य है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि विभिन्न चालानों के द्वारा जमा दर्शाई गई राशि वास्तविक रूप में सरकारी खजाने में जमा हो गई है। अतः अंकेक्षण अवधि 1.4.07 से 31.3.2012 तक के दौरान चालानों द्वारा जमा करवाई गई राशि का सरकारी खजाने के साथ मिलान किया जाए व अनुपालना से आगामी अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए। भविष्य में प्रत्येक वित्तीय वर्ष के अन्त में मिलान किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

32 निधियां की दो–दो रोकड़ वहियां रखने बारेः–

जांच के दौरान पाया गया कि निधियों की दो–दो रोकड़ वहियां रखी गई है। सभी निधियों की एक संयुक्त रोकड़ वही व प्रत्येक निधि अलग–2 रोकड़ वही रखी गई है। जोकि नियमों के विपरीत है। अतः प्रत्येक निधि की अलग–2 रखी गई रोकड़ वहियों को तुरन्त प्रभाव से बन्द किया जाए व सभी निधियों की केवल एक संयुक्त रोकड़ वही अलग–2 निधि खाता को दर्शाते हुए रखी जाए। इसके अतिरिक्त निधियां का केवल एक ही बैंक खाता खोला जाए, जैया कि शिक्षा संहिता 2001 व हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय अध्यादेश में प्रावधान है। अनुपालना से आगामी अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

33 ऋण रजिस्टर तैयार न करनाः–

अंकेक्षण अवधि के दौरान विभिन्न निधियों से अन्य प्रयोजनों हेतु ऋण दिए गए है, लेकिन ऋण रजिस्टर तैयार नहीं किया गया है जोकि वित्तीय नियमों की अवहेलना है। अतः अवधि 1.4.07 से 31.3.12 तक का ऋण रजिस्टर तैयार किया जाए, जिससे ऋण वापिसी की तिथि का भी स्पष्ट उल्लेख किया जाए, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि जितनी ऋण राशि जिस निधि से ली गई है, उतनी ऋण राशि उस निधि में वापिस जमा करवा दी गई है। अनुपालना से आगामी अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

34 <u>रसीदों का स्टॉक रजिस्टर न रखने बारेः—</u>

जांच के दौरान पाया गया कि महाविद्यालय में अध्ययनरत छात्रों से फीस व निधियों की वसूली हेतु जारी की गई रसीदों का स्टॉक रजिस्टर तैयार नहीं किया गया है। अतः फीस व निधियों को प्राप्त करने हेतु जारी की गई समस्त रसीदों का स्टॉक रजिस्टर तैयार किया जाए व जांच हेतु आगामी अंकेक्षण मे ंप्रस्तुत किया जाए।

35 <u>स्टॉक व स्टोर में शेष पड़े सामान का भौतिक सत्यापन न करवाने बारेः—</u>

जांच के दौरान पाया गया कि अंकेक्षण अवधि 4/07 से 3/12 तक के दौरान स्टोर व स्टॉक में शेष पड़े सामान का कमेटी गठित करने उपरान्त भौतिक सत्यापन नहीं करवाया गया है। जबकि नियमानुसार प्रत्येक वित्तीय वर्ष के अन्त में स्टोर व स्टॉक में शेष पड़े सामान का कमेटी गठित करने उपरान्त भौतिक सत्यापन करना अनिवार्य है। अतः उक्त नियम की अनुपालना न करने का औचित्य स्पष्ट किया जाए व प्रत्येक वित्तीय वर्ष के अन्त में कमेटी गठित करने उपरान्त स्टोर व स्टॉक में शेष पड़ें सामान का भौतिक सत्यापना करवाया जाना सुनिश्चित किया जाए। अनुपालना से आगामी अंकेक्षण को अवगत करवाया जाएं।

36 <u>स्थाई व अस्थाई सामान का अलग—2 स्टॉक रजिस्टर न रखने बारेः—</u>

जांच करने पर पाया गया कि विद्यालय में विभिन्न निधियों से खरीदे गए सामान का स्थाई व अस्थाई स्टॉक रजिस्टर अलग—2 नहीं लगाया गया है जबकि नियमानुसार स्थाई व अस्थाई स्टॉक रजिस्टर लगाना अनिवार्य है। अतः तुरन्त प्रभाव से सभी निधियों के स्थाई व अस्थाई अलग—2 स्टॉक रजिस्टर तैयार किए जाएं व प्रत्येक मद हेतु अलग—2 पृष्ठ आंबटित करके तदानुसार स्टॉक प्रविष्टियां की जानी सुनिश्चित की जाए। अनुपालना से आगामी अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

37 <u>उत्तरपुस्तिकाओं की खपत का विवरण न रखने बारेः—</u>

जांच के दौरान पाया गया कि उत्तरपुस्तिकाओं के स्टॉक रजिस्टर में उतारपुस्तिकाओं की खपत का अभिलेख नियमानुसार नहीं रखा गया है। गृह परीक्षाओं हेतु खरीदी गई उत्तरपुस्तिकाओं की खपत का विवरण कक्षा, छात्रों की संख्या पेपर इत्यादि प्रत्येक दिनांक के आधार पर स्वतः स्पष्ट रूप से तैयार किए जाए ताकि स्टॉक लेखा सही स्थिति को दर्शा सके। अनुपालना से आगामी अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

38 **<u>लघु आपत्ति विवरणिकाः–</u>** यह अलग से जारी नहीं की गई है।

40 **<u>निष्कर्षः–</u>** लेखों के रख रखाव में सुधार की आवश्यकता हैं।

हस्ता / –
सहायक निदेशक,
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,
हिमाचल प्रदेश,शिमला–171009.

पृष्ठांकन संख्या :फिन(एल0ए0)एच(2) सी(15) xi(ii) 496 / 13 खण्ड–1 दिनांक,शिमला–171009

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित है :–

पंजीकृत 1. प्राचार्य, राजकीय महाविद्यालय, हरिपुर गुलेर, तहसील देहरा, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश को इस आशय के साथ प्रेषित की जाती है कि वह इस अंकेक्षण प्रतिवेदन पर की गई कार्रवाई का सटिप्पण उत्तर इस विभाग को अतिशीघ्र भेजें ।

2. प्रधान सचिव (शिक्षा) हिमाचल प्रदेश सरकार शिमला–171002
3. निदेशक शिक्षा विभाग हिमाचल प्रदेश शिमला–171001
4. श्री राज कुमार, अनुभाग अधिकारी द्वारा..................

हस्ता / –
सहायक निदेशक,
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,
हिमाचल प्रदेश,शिमला–171009.